रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2010/अग्रहायण 25, 1932

No. 679] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2010/AGRAHAYANA 25, 1932

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

**सा.का.नि. 980(अ).**—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ) और खण्ड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) तृतीय संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 2 में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा :—

"(खख) "अभिहित अधिकारी" से अल्प खाता खोलने के लिए किसी बैंककारी कंपनी द्वारा, नाम या पदनाम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अधिकारियों का एक बर्ग अभिप्रेत है।"

(ii) खंड (घ) में "भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या बैंककारी कंपनी अथवा वित्तीय कंपनी अथवा मध्यवर्ती द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज" शब्दों के स्थान पर "भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित नरेगा (एनआरईजीए) द्वारा जारी किया गया कार्य कार्ड, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्यांक के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों या भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य दस्तावेज या बैंककारी कंपनी अथवा वित्तीय कंपनी अथवा मध्यवर्ती यथाअपेक्षित कोई अन्य दसतावेज" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (चक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चख) "अल्प खाता" से किसी बैंककारी कंपनी में ऐसा बचत खाता अभिप्रेत है, जिसमें—

(i) किसी वित्तीय वर्ष में पूरी जमा रकम का योग एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा,

(ii) किसी मास में निकाली गई अंतरित पूरी रकम का योग दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, और

(iii) किसी भी समय अतिशेष पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।"

(ख) नियम 9 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" (2क) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बैंककारी कंपनी में अल्प खाता खोलना चाहता है उसे ऐसा कोई खाता खोलने के लिए, खाता खोलने के प्ररूप पर एक स्व-अनुप्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करके और यथास्थिति, हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् अनुज्ञात किया जा सकेगा।

परंतु यह कि–

(i) अल्प खाता खोलते समय बैंककारी कंपनी का अभिहित अधिकारी हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में, यथास्थिति अपने हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठे की छाप लगाई है;

(ii) ऐसे अल्प खाते को, केवल मुख्य बैंककारी समाधान संबंद्ध बैंककारी कंपनी की शाखाओं में या ऐसी किसी शाखा में जहां शारीरिक रूप से मानीटर करना संभव है, खोला जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अल्प खाते में अंतर्राज्यीय विप्रेषण जमा न की जाए और संव्यवहार को अनुज्ञात करने से पहले ऐसे खाते में संव्यवहार की मासिक और वार्षिक तथा अतिशेष की कुल नियत सीमा भंग न हो;

(iii) अल्प खाता आरंभ में बारह मास की अवधि के लिए प्रवर्तनशील रहेगा और इसके पश्चात् और बारह मास की अवधि के लिए प्रवर्तशील रहेगा यदि उक्त खाते को खोलने के बारह मास के भीतर ऐसे खाते का धारक बैंककारी कंपनी के समक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि उसने शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है और चौबीस मास की अवधि के पश्चात् उक्त खाते की बाबत पूरे शिथिलीकरण उपबधों का पुनर्विलोकन किया जाएगा;

(iv) अल्प खाते को मानीटर किया जाएगा और जब धन शोधन या आतंकवाद का वित्तपोषण या अन्य उच्च जोखिम वारदातों का संदेह हो तब ग्राहक की पहचान को, नियम 9 के उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट शसकीय विधिमान्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करके साबित की जाएगी; और

(v) किसी अल्प खाते में अंतर्राज्यीय विप्रेषण को तब तक जमा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि नियम 9 के उपनियम (2) में यथानिर्दिष्ट शासकीय विधिमान्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करके ग्राहक की पहचान साबित नहीं कर दी जाती है।"

[अधिसूचना सं. 14/2010-ई.एस./फा. सं. 6/2/2007-ईएस]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 717 (अ) तारीख 13 दिसंबर 2005, संख्यांक सा.का.नि. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007; संख्यांक सा. का. नि. 816 (अ), तारीख, 12 नवंबर, 2009, संख्यांक सा. का. नि. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010 और संख्यांक सा.का.नि. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010 द्वारा किए गए।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2010

**G.S.R. 980(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, hereby makes the following amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) 3rd Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005,—

(a) in rule 2,—

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) "Designated Officer" means any officer or a class of officers authorized by a banking company, either by name or by designation, for the purpose of opening small accounts."

(ii) in clause (d), for the words "the Election Commission of India or any other document as may be required by the banking company or financial institution or intermediary", the words "Election Commission of India, job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government, the letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number or any other document as notified by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India or any other document as may be required by the banking companies, or financial institution or intermediary" shall be substituted;

(iii) after clause (fa), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fb) 'small account' means a savings account in a banking company where—

(i) the aggregate of all credits in a financial year does not exceed rupees one lakh,

(ii) the aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed rupees ten thousand, and

(iii) the balance at any point of time does not exceed rupees fifty thousand."

(b) in rule 9, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), an individual who desires to open a small account in a banking company may be allowed to open such an account on production of a self-attested photograph and affixation of signature or thumb print, as the case may be, on the form for opening the account :

Provided that —

(i) the designated officer of the banking company, while opening the small account, certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thumb print, as the case may be, in his presence;

(ii) a small account shall be opened only at Core Banking Solution linked banking company branches or in a branch where it is possible to manually monitor and ensure that foreign remittances are not credited to a small account and that the stipulated limits on monthly and annual aggregate of transactions and balance in such accounts are not breached, before a transaction is allowed to take place;

(iii) a small account shall remain operational initially for a period of twelve months, and thereafter for a further period of twelve months if the holder of such an account provides evidence before the banking company of having applied for any of the officially valid documents within twelve months of the opening of the said account, with the entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after twenty four months;

(iv) a small account shall be monitored and when there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or other high risk scenarios, the identity of client shall be established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (2) of rule 9; and

(v) foreign remittance shall not be allowed to be credited into a small account unless the identity of the client is fully established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (2) of rule 9."

[Notification No. 14/2010/F. No. 6/2/2007-E.S.]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010 and number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.